(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम0के0 सिंह0
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1143-एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-1-2012 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 11/2011-12विविध.

1. रमेश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
2. जगदीश प्रसाद मृत- वारिसान
   (क) श्रीमती शीला राजपूत पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद
   (ख) महावीर पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद राजपूत
3. मुरारीलाल पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
4. मुलायम सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
5. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
6. रामश्री पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
7. फूलवती पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
8. कुसुमा पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
9. वैजन्ती पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
10. गुड्डी पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी
11. पतिया बेवा स्व0 श्री नन्दकिशोर लोधी

निवासीगण ग्राम सिनावल तहसील
व जिला दतिया म0प्र0

------अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री पुन्ना
2. उर्मिला पत्नी शारदा शरण
3. जयराम पुत्र श्री धवल
4. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री धवल
5. रामकुंवर पुत्री श्री धवल
6. शीला पुत्री श्री धवल
7. किशोरी पुत्री श्री धवल

निवासीगण ग्राम सिनावल तहसील
व जिला दतिया म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-8-2016 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-1-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सिनावल की आराजी सर्वे कमांक 742 रकवा 0.3, 811 रकवा 0.35, 814 रकवा 0.14, 822 रकवा 0.51, 857 रकवा 0.83, 859 रकवा 0.91, 860 रकवा 2.48, 865 रकवा 0.72, 866 रकवा 0.57, 868 रकवा 0.17 के अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा उक्त नम्बरों के बटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार वृत बरगांय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 32/अ-27/06-07 में पारित आदेश दिनांक 5-6-08 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 102/अपील/07-08 में पारित आदेश दिनांक 31-7-09 अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19-7-11 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ। जिसके विरूद्ध विविध आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 18-1-12 द्वारा अस्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना समस्त पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अनावेदक कमांक 1 व 2 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बंटवारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि बटवारा प्रकरण में विधिवत फर्दों का प्रकाशन नहीं कराया गया। बिना हितबद्ध

पक्षकारों के फर्द बटांकन पर हस्ताक्षर किये उसे विधिसम्मत नहीं का जा सकता। नायब तहसीलदार ने संहिता की धारा 178 की प्रकियाओं का पालन किये गये बटवारा आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत आदेश पारित किया है तथा तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित ठहराने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई अवैधानिकता पर विचार न करते हुये प्रकरण का गुण-दोष पर आदेश पारित न करते हुये तकनीकि आधार पर अपील का निराकरण करने में त्रुटि की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपील प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण करने का अनुरोध किया।

4/ प्रत्यर्थीगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये हैं परन्तु वे व्यक्तिशः अभिप्राप्त नहीं होने से तामील को विधिवत नहीं कहा जा सकता। संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत बटवारा प्रकरण में संहिता की प्रथम अनुसूची के नियम 11 से 16 तक के उपबन्धों के अनुसार सूचना-पत्र का इन नियमों के तह समन को व्यक्तिश जारी किया जाना आवश्यक है। समन तामीली नियमों के तहत निर्वाहन न होने से सूचना विधिवत दिया जाना परिलक्षित नहीं है। संहिता की प्रथम अनुसूची के नियम 17 के उपबन्धों के अनुसार उद्घोषण का प्रकाशन इन नियमों के परिशिष्ट के प्रारूप 'ख' में कराये जाने प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधिंवत फर्द का प्रकाश नहीं कराया है। फर्द बटान पर सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। संहिता की धारा 178 के के अनतर्गत फर्द बटान पर सभी सहखातेदारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। फर्द में सभी सहखातेदारों को स्पष्ट बटान कायम नहीं किये गये हैं। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा

178 के प्रावधान का उल्लंघन किया है, अतः विचारण के बटवारा आदेश को विधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रकिंया एवं संहिता के प्रावधान के की गई त्रुटि को नजरअंदाज किया है एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को भी उचित नहीं कहा जा सकता। अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण न करते हुये तकनीकि आधार पर निराकरण किया है, जो उचित नहीं है क्योंकि जहां विधि की गंभीर भूल की गई है वहा प्रकरण का तकनिकी आधार पर निराकरण न कर गुण-दोष पर आदेश पारित करना चाहिए। इस दृष्टि अपर आयुक्त द्वारा पारित भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं प्रकरण वर्तमान तहसीलदार बडौनी जिला दतिया को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में खाता की बटवारे की पूर्व की स्थिति कायम करते हुये प्रकरण में सभी सहखातेदारों को व्यक्तिशः सूचना देने एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विचार क्षेत्र में लेकर संहिता की धारा 178 की विधि की मंशा के अनुरूप गुण-दोषों पर आदेश पारित करें।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर